



F- 07-08
F- 07-11

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

IS/ISO: 9001:2008

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE

मारतहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु-560 037
MARATHAHALLI COLONY P.O

BENGALURU -560 037

वर्ग अनुमोदन सं. 862 का संशोधन सहित नवीकरण

Amendment-cum-Renewal of Type Approval No.: 862

विषय/Sub: नाइट्राइल बेस रबड़ कम्पाउंड बी पी - 12
Nitrile Base Rubber Compound BP-12

यह घोषित किया जाता है कि मेसर्स बी.पी इंजीनियर्स (प्राईवेट) लिमिटेड, 10/8 मदन मोहन मालविया मार्ग, लखनऊ - 226 001 द्वारा विकसित तथा उत्पादित " नाइट्राइल बेस रबड़ काम्पाउंड बी पी - 12" को संदर्भ सं.: सेमिलाक/5070/टीए-862, दिनांक-19 नवंबर 1999 द्वारा जारी किया गया था। तदुपरांत संदर्भ सं.: सेमिलाक/5070/टीए-862/3आर दिनांक-18 जनवरी 2013 द्वारा नवीकरण किया गया था जिसकी वैधता 31 दिसंबर 2017 तक है।

This is to state that the "Nitrile Base Rubber Compound BP-12", developed and manufactured by M/s B.P. Engineers Private Limited, 10/8 Madan Mohan Malviya Marg, Lucknow - 226001, was issued with Type Approval Number: 861 vide Ref No.: CEMILAC/5070/TA-862, dated: 19th November 1999. Subsequently it was renewed vide Ref. No: CEMILAC/5070/TA-862/3R, dated: 18th January 2013 with validity up to 31st December 2017.

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 जनवरी 2018 से संतोषजनक निष्पादन प्रतिपुष्टि के आधार पर किया जाता है तथा 31 दिसंबर 2022 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता है। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन (03) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए (लखनऊ), सेमिलैक, डीआरडीओ, द्वारा मेसर्स एचएएल, लखनऊ -226 016, से अनुरोध करना होगा।

This is to certify that this Type Approval is hereby renewed w.e.f. 01st January 2018 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 31th December 2022 unless otherwise suspended, cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Lko), CEMILAC, DRDO, C/o M/s HAL, Lucknow - 226016, three (03) months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause.

3. संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-862, दिनांक- 19 नवम्बर 1999 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के अनुच्छेद पांच(05) में निम्नलिखित संशोधन लागू है।

The Para five (05) of original Type Approval Certificate vide Reference Number: CEMILAC/5070/TA-862, dated: 19th November 1999 is amended as stated herewith.

“[अगर इस संलग्न टाइप रिकॉर्ड के एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूरु -560 037 की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।]”

“[Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru - 560 037, is to be obtained to adopt any changes in the SOP and in the declared performance indicated in the Type Record. The Type Approval is not at all transferable to any other agency]”.

4. प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी, और पूर्णतः लागू होगा।

All other conditions stipulated in the initial type approval certificate remain unaltered, and fully applicable.

सं. / No.: सेमिलैक/CEMILAC/5070/टी.ए/TA-862/4R

दिनांक / Date: 21 December 2017

फैक्स सं./ Fax No: 080-25230856

JR

P. Jayapal

(पी . जयपाल / P. JAYAPAL)

मुख्य कार्यपालक (उड़नयोग्यता) /
Chief Executive (Airworthiness)